आरबीई सं.79/2023

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.ई(एनजी) I/2016/पीएम-I/12 (मेन फाइल)　　　　नई दिल्ली, दिनांक 13.06.2023

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: भा.रे.स्था.नियमावली जिल्द I के पैरा 122 – स्टेशन मास्टरों के पदों को भरने से संबंधित प्रावधान में संशोधन।

*****

आपका ध्यान भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I (संशोधित संस्करण 1989), प्रथम पुनर्मुद्रित संस्करण 2009 के पैरा 122(1)(iii) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें 25 % सामान्य चयन कोटा के लिए स्तर 6 में स्टेशन मास्टर के पदों को भरने हेतु पात्र कोटियों को विस्तारपूर्वक बताया गया है।

बोर्ड द्वारा मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि शंटिंग मास्टर/जमादार एवं टीएनसी, जो स्तर-6 में हैं, को भी 25% सामान्य चयन कोटा के लिए स्तर 6 में स्टेशन मास्टर के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र बनाया जा सकता है। इस पार्श्व स्थानांतरण के रूप में माना जाएगा और स्टेशन मास्टर के समान स्तर में वेतन निर्धारण के लिए हकदार नहीं होंगे।

पैरा 122(1)(iii) की अंतिम पंक्ति अर्थात् "स्तर-1 के कर्मचारियों (पूर्ववर्ती छठा कें.वे.आ., ग्रेड पे 1800 रू.) को मैट्रिक अर्हता एवं 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है" को "परिचालन विभाग के स्तर-1 के कर्मचारी (पूर्ववर्ती छठा कें.वे.आ., ग्रेड पे 1800 रू.) जो मैट्रिक पास हैं एवं परिचालन विभाग में 5 वर्ष की नियमित सेवा का अनुभव रखते हैं" के रूप में पढ़ा जाए।

पैरा सं. 122(3) "स्विचमैन (और लीवरमैन एवं केबिनमैन, जहां कहीं इन्हें स्विचमैन के स्थान पर माना जाता है) की प्रोन्नति के लिए ऊपरी आयु सीमा स्टेशन मास्टर के रूप में उनके लिए निर्धारित 25% कोटा के संबंध में 50 वर्ष होगी", को हटाया जा सकता है।

तदनुसार, भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I (संशोधित संस्करण, 1989) प्रथम पुनर्मुद्रित संस्करण, 2009 के पैरा 122(1) (iii) को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 280 के अनुसार संशोधित किया जाता है।

कृपया पावती दें।

संलग्न: अ.शु.प. सं. 280

डी जोसेफ
(डी. जोसेफ)
निदेशक स्था. (अराज.)-II
रेलवे बोर्ड
ई-मेल: devasia.joseph@nic.in
फोन नं. 47189/011-23047189

सं.ई(एनजी) 1/2016/पीएम-1/12 (मेन फाइल)　　　　नई दिल्ली, दिनांक 13.06.2023

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।

2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
3. सभी सदस्य/राष्ट्रीय परिषद एवं विभागीय परिषद एवं सचिव/कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद,13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली (60 प्रतियां)।
4. सेक्रेटरी जनरल, एफआरओए, कमरा सं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियां)।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियां)।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "बी" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप "डी" एम्प्लायज एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एंड एसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन कुमार

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक(औ.सं.)/रेलवे बोर्ड

सलाहकार/रेलमंत्री, निजी सचिव/रेल राज्य मंत्री(डी), रेल राज्य मंत्री (जे), का.नि.ज.शि./रेल मंत्री, वि.का.अधि./रेलमंत्री, वि.का.अधि./समन्वय/रेलमंत्री

अध्यक्ष एवं मु.का.अधि., सदस्य(वित्त), सदस्य (अव.), सदस्य (क. एवं च.स्टॉ.), सदस्य(परि. एवं व्य.वि.), सचिव, महा.निदे./रे.स्वा.से. एवं महा.निदे./रे.सु.ब. के प्रधान निजी सचिव।

अपर सदस्य (वाणिज्य), अपर सदस्य (सिविल इंजी.), अपर सदस्य (कंप्यूटर एवं सूचना प्रणाली), अपर सदस्य (बिजली), अपर सदस्य (बजट), अपर सदस्य (वित्त), अपर सदस्य (यांत्रिक), अपर सदस्य (योजना), अपर सदस्य (परियोजना), अपर सदस्य (उत्पादन इकाई), अपर सदस्य (सिगनल), अपर सदस्य (भंडार), अपर सदस्य (दूरसंचार), अपर सदस्य (यातयात), अपर सदस्य (निर्माण), अपर सदस्य (पर्यटन एवं खानपान), अपर सदस्य (कार्मिक), अपर सदस्य (मानव संसाधन), प्रधान कार्यपालक निदेशक (सतर्कता) और प्रधान कार्यपालक निदेशक (अवसंरचना) के प्रधान निजी सचिव।

का.नि./संरक्षा(एम),का.नि.सि.इंजी.(जी),का.नि.(ईएंडआर.),का.नि.स्था.,का.नि.स्था.(अराज.), का.नि.यां.इंजी.(डब्ल्यू), का.नि.ई.आर.एस(जी), का.नि.स्था.(आर.),का.नि.स्था.(आरआरबी), का.नि.वि.(व.),का.नि.(रे.वि.), का.नि./ट्रैक(एम),का.नि.वित्त.(व्य.)I, का.नि.वि.(व्य.)II, का.नि.(स्वा.),का.नि.स्था.(राज.संवर्ग),का.नि.(सांख्यिकी),का.नि.(रेलपथ/एमसी),का.नि.यां.इंजी.(कोचिंग),का.नि.यां.इंजी.(कर्षण),का.नि.(निर्माण),का.नि.यां.इंजी.(वि.),का.नि.च.स्टॉ.(डब्ल्यू),का.नि.वे.आ.,का.नि.वि.(ई.),का.नि.लेखा.,का.नि.वी.(ए.),जेएस(जी) एवं आईजी/आरपीएफ के प्रधान निजी सचिव।

डीपीसी-II, डीई(जी), डी(आईएच), डी(एच एंड एफडब्ल्यू), डी(एमपीपी), डीई(एन)II, डीई(आर), डीई(डी एवं ए), डीई(एलएल), जेडी(ओएल), जेडीई(रिप), जेडीई(आरआरबी), डीडी(कोड रिविजन), डीडीई(एलआर)I, डीडीई(एलआर)II, डीडीई(एलआर)III, डीडीवी(ए एंड पी), डीडी(ओएल)I, ई(एनजी)II, ई(रिप)I, ई(रिप)II, ई(रिप)III, ई(एससीटी)I, ई(एससीटी)II, ई(आरआरबी), पीसी-III, पीसी-IV, पीसी-V, ई(पी एंड ए)II, सीई-I, सीई-II, सीई-III, सिक्यो.(ई), सिक्यो(एबीई), ई(एमपीपी), संरक्षा शाखा, ए/सी-III एवं कोड रिविजन सेल।

*****

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I
(1989 संस्करण, प्रथम पुनर्मुद्रित संस्करण-2009)
अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.280

अध्याय-I, खण्ड-ख, उप-खण्ड-III (भर्ती और प्रशिक्षण) - परिवहन (यातायात) विभाग में पदों को भरने के नियम

I. परिवहन (यातायात) विभाग

(i) स्टेशन मास्टर

मौजूदा पैरा 122(1) (iii) को पढ़ने हेतु निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

25% रिक्तियां मैट्रिक पास की अर्हता रखने वाले नीचे दिए गए कर्मचारियों, जिनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (अ.जा./अ.ज.जा. के मामले में 50 वर्ष) हो, में से सामान्य चयन द्वारा भरी जाएंगी। इस कोटा में खाली रह गई रिक्तियां पैरा 122(ii) के अनुसार सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरी जाएंगी।

(क) शंटिंग जमादार, शंटिंग मास्टर, केबिनमेन ग्रेड-I, स्विचमैन, वरि. सिगनलर और वरि. गाड़ी लिपिक, सभी स्तर-4 में हैं, और लीवरमैन ग्रेड-I, प्वाइंट्समैन ग्रेड-I, शंटमेन ग्रेड-I, केबिनमेन ग्रेड-II और गाड़ी लिपिक, सभी स्तर-2 में हैं,

(ख) स्तर-6 में शंटिंग मास्टर/जमादार एवं टीएनसी भी 25% सामान्य चयन कोटा के लिए स्तर-6 में स्टेशन मास्टर के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र हैं। इसे पार्श्व स्थानांतरण के रूप में माना जाएगा और वे स्टेशन मास्टर के समान स्तर में वेतन निर्धारण के लिए हकदार नहीं होंगे।

(ग) "परिचालन विभाग के स्तर-1 के वे कर्मचारी (पूर्ववर्ती छठा कें.वे.आ., ग्रेड पे 1800 रू.) जो मैट्रिक पास हैं, एवं जिन्होंने परिचालन विभाग में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, को भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।

पैरा सं. 122(3) हटाया जाए।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 13.06.2023 का पत्र सं.ई(एनजी)I/2016/पीएम-1/12 (मेन फाइल)